न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रतनगढ जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. गौरव सैनी, आई.ए.एस.

मुकदमा संख्या:– दावा संख्या 122/2018

निर्णय दिनांक :– 31.12.19

तुलसीराम पुत्र स्व. रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी भरतियों की ढाणी रतनगढ जिला चूरू

... वादी

बनाम

1. जेठाराम पुत्र स्व. रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी भरतियों की ढाणी, रतनगढ
2. जितेन्द्र उर्फ जीतू पुत्र जेठाराम जाति जाट निवासी भरतियों की ढाणी रतनगढ
3. सुभाष पुत्र जेठाराम जाति जाट निवासी भरतियों की ढाणी, रतनगढ

...प्रतिवादीगण

उपस्थितः–

1. श्री देवेन्द्र कुमार चोटिया अभि. वादी

दावा चिरनिषेधाज्ञा प्राप्ति हेतु अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट 1955

निर्णय

1. वादी की ओर से यह दावा अन्तर्गत धारा 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत चिरनिषेधाज्ञा प्राप्ती हेतु दिनांक 20.6.2018 को प्रस्तुत किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।
2. दावा वादी का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 सगे भाई है। कस्बा रतनगढ की रोही में वादी की खाता संख्या 297 की खातेदारी एवं कब्जा काश्त के खेत ख.नं. 1866/1241 तादादी 3.0351 हैक्टेयर, ख.नं. 1924/1168 तादादी 4.3124 हैक्टेयर कुल तादादी 6.2094 हैक्टेयर भूमि स्थित है। वादी की खातेदारी भूमि के पूर्वी तरफ प्रतिवादी सं. 1 जेठाराम की खातेदारी भूमि ख.नं. 1926/1168 तादादी 8.4857 हैक्टेयर भूमि स्थित है। वादी ने करीब 30 साल से

31.12.19
उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ (चूरू)

Scanned by CamScanner

पट्टियां व तारबन्दी बाड़ आदि सुरक्षा हेतु कर रखी है। वादी दिनांक 16 व 17 जून 2018 को अपनी पुत्री की परीक्षा दिलाने हेतु पिलानी गया हुआ था तो वादी की अनुपस्थिति में प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 व अन्य ने वादी की खातेदारी भूमि ख.नं. 1925/1168 की पूर्वी सींव की पट्टियों व तारबन्दी को उखाड़ दिया और 1–2 पट्टियों को दिया। जिसके सम्बन्ध में अलग से कार्यवाही की गई है। वादी की खातेदारी भूमि से प्रतिवादीगण को कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है। प्रतिवादीगण वादी की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि के पूर्वी ओर सींव के साथ छेड़छाड़ करते रहते है। वादी की भूमि में जबरन प्रवेश करने व काश्त नही करने देने की धमकियां देते है। वादि दिनांक 18.6.2018 को सांय अपनी सींव की पट्टियां वापस रोप रहा था तो उसी वक्त प्रतिवादीगण एक राय होकर आये और एलानियां धमकियां दी कि पट्टयां नही रोपने देगें व खेत काश्त करने नही करने देगें। वादी ने उनको समझाया परन्तु वे मानने से ईन्कार हो गये। वादी को अपनी खातेदारी भूमि से जबरन बेदखल किये जाने व काश्त कार्य में दखल दिये जाने का पूर्ण खतरा उत्पन्न हो गया है। इसलिए वादी प्रतिवादीगण को जरिये चिरनिषेधाज्ञा से वर्जित करवाने का अधिकारी है। वादी का दावा चिरनिषेधाज्ञा प्राप्ति की सहायता का है। प्रतिवादीगण की ईन्कारी से वादी का दावे का वादहेतुक व वादाधार प्राप्त है। अतः प्रतिवादीगण को जरिये चिरनिषेधाज्ञा से वर्जित किया जावे कि वे वादी की खातेदारी व कब्जा काश्त के खेत ख.नं. 1866/1241 तादादी 3.0351 हैक्टेयर, ख.नं. 1924/1168 तादादी 4.3124 हैक्टयेर कुल तादादी 7.3475 हैक्टेयर व खाता संख्या 296 के ख.नं. 1925/1168 तादादी 6.2094 हैक्टेयर रोही कस्बा रतनगढ में जबरन प्रवेश नही करें ना ही पट्टीयां बाड़ तारबन्दी आदि करने में किसी भी प्रकार से बाधा व रूकावट नही करें ना ही सींव व पट्टियों को नुकशान करें अथवा कार्यलोप करें जिससे वादी के जायज व वैध अधिकारों पर विपरीत असर पड़े।

3. वादगत भूमि रोही ग्राम रतनगढ में स्थित है। जिसका क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार न्यायालय को प्राप्त है।

4. प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 बावजूद तामील उपस्थित नही हुए। इसलिए उनके विरुद्व दिनांक 3.8.2018 को ईकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस विद्वान अभिभाषक वादी सुनी गई। पत्रावली एवं राजस्व रेकार्ड का भलिभातीं अवलोकन किया गया। वादी की ओर से प्रस्तुत नकल जमाबन्दी सं.

21.12.19
उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ (चूरू)

Scanned by CamScanner

2071–2075 ख.नं. 1925/1168 तादादी 6.2094 प्रदर्श–1, नकल जमाबन्दी सं. 2071–2075 ख.नं. 1866/1241 तादादी 3.0351 व ख.नं. 1924/1168 तादादी 4.3124 प्रदर्श–2, नकल जमाबन्दी सं. 2071–2075 ख.नं. 1926/1168 तादादी 8.4857 प्रदर्श–3 का अवलोकन किया गया। वादी खेत ख.नं. 1866/1241 तादादी 3.0351 हैक्टेयर, ख.नं. 1924/1168 तादादी 4.3124 हैक्टेयर कुल तादादी 7.3475 हैक्टेयर व खाता संख्या 296 के ख.नं. 1925/1168 तादादी 6.2094 हैक्टेयर रोही कस्बा रतनगढ का अकेला रेकार्डेड खातेदार है। प्रतिवादी सं. 1 जेठाराम की खातेदारी भूमि ख.नं. 1926/1168 तादादी 8.4857 हैक्टेयर प्रदर्श–3 के अनुसार रोही रतनगढ में स्थित है। नक्शे के अवलोकन से प्रतिवादी जेठाराम की भूमि वादी की खातेदारी भूमि के पड़ौस में स्थित है। रेकार्डेड खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की सुरक्षा हेतु तारबन्दी, पट्टियां व बाड़ करने का पूर्ण अधिकार है। प्रतिवादीगण को वादी की खातेदारी भूमि में किसी भी प्रकार से दखलन्दाजी करने का कोई अधिकार नही है। इस प्रकार वादी का दावा डिक्री योग्य है।

आदेश

5. दावा वादी डिक्री किया जाता है। प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 जेठाराम, जितेन्द्र उर्फ जीतू व सुभाष को जरिये चिरनिषेधाज्ञा वर्जित किया जाता है कि वादी की खातेदारी के खेत ख.नं. 1866/1241 तादादी 3.0351 हैक्टेयर, ख.नं. 1924/1168 तादादी 4.3124 हैक्टेयर कुल तादादी 7.3475 हैक्टेयर व खाता संख्या 296 के ख.नं. 1925/1168 तादादी 6.2094 हैक्टेयर रोही कस्बा रतनगढ में जबरन प्रवेश नही करें ना ही पट्टीयां बाड़ तारबन्दी आदि करने में किसी भी प्रकार से बाधा व रूकावट पैदा करें ना ही सींव व पट्टियों को नुकशान करें ना ही ऐसा कोई करें जिससे वादी के कृषि कार्यो पर विपरीत असर पड़े। खर्चा पक्षकारान अपना वहन करेगें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31.12.19 को खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।

31.12.19

(डॉ. गौरव सैनी)
उपखण्ड अधिकारी
रतनगढ (चूरू)
उपखण्ड अधिकारी
रतनगढ (चूरू)

Scanned by CamScanner